मालवा क्षेत्र की भूली-बिसरी यादें!

मालवा के बचपन की यादें ताजा हो गईं। कहते थे पुराने लोग,सगा में साढ़ू, और खावा में लाढ़ा।अब कहां है वो बातें! गांव भी आन लाईन दुकानों से भर गये है। देहाती जीवन भी तेज हो गया है। बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह।चलता है तो शहर में ही रुकता है। कृषि कार्यों में भी व्यस्तता बढ़ने से अब गांव में चौपाल नहीं लगती।ठंड के दिनों में जलने वाले अलाव अब रूम हीटर में बदल गये है।अब गांवों में प्यारा चा साब, भागीरथ बा,भरतरी बा,बापू दा, देवकरणदा, बाबूड, लच्छु, मुनकर, सिवलिया,मदन काना नाम गायब हो गए हैं। शिरीष, आरव, हार्दिक, ग्रंथ, और अनेक कठिन शब्दों वाले नाम प्रचलन में आ गये है। जिन्हें याद रखना भी कठिन है। मंदिरों में घंटाल बजाने वालों का अभाव हो गया है। उनकी जगह मशीने घंटा, और नगाड़े बजाती है।आने वाले समय में शायद रोबोट मंदिरों में आरती किया करेंगे, ऐसा लगता है।भागवत कथाओं के माध्यम से अंधविश्वास श्रोताओं को परोसा जा रहा है।आधुनिकता की होड़ में हमारी श्रेष्ठ परंपराएं लुप्त होता जा रहा है। अपने जमाने में वृद्धाश्रम नहीं होते थे।अब भरमार है वृद्धाश्रमों की।

'जीवित को दे सके न नीर'

मृतक बाप को लड्डू खीर 'अब शादी में समय कम और दिखावा ज्यादा है। पहले शादी वाले घर में महिने भर पहले चहल पहल शुरू हो जाती थी। क्वासी लाना है,ओढ़ा पूजना है।बाने कितने निकलेंगे दूल्हे के?यह सब पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर तय करना पड़ता था।महिलाएं सामूहिक रूप से अनाज साफ करने लगती थी और विवाह के गीत भी गाती जाती थी।ये परंपराएं दिखावा नहीं थी,आपसी सहयोग का शानदार उदाहरण थी।पूरा मोहल्ला बिना कहे शादी में हर तरह का सहयोग करने को तैयार हो जाता था। आज तो शादी में ४तरह की मिठाई और कम-से-कम ६आयटम अन्य होते हैं। ये जानबूझ कर दिखावा करने की प्रवृत्ति है। हमारे जमाने में प्रीतिभोज में कद्दू की सब्जी,तुक्की के लड्डू। और ज्यादा हुआ तो बेसन चक्की। रायता अनिवार्य था। भोजन करने जाते थे तो लौटा गिलास साथ ले जाते थे। और पत्तल दोने पलास के पत्तों से बने होते थे।जब पत्तल पर पूरा खाना आ जाता था तो वर या वधू के पिता आकर हाथ जोड़कर सबसे भोजन शुरू करने का निवेदन करते।तब कोई एक व्यक्ति जोर कहता था,

नमो पार्वती पते हर हर महादेव

और भोजन शुरू हो जाता था।आज ये सब कहां है।वो आत्मीयता कहां लुप्त हो गई है?आज प्रीतिभोज में खाना खाने जाते हैं तो सेल्फ सर्विस सिस्टम है।कौन मनवार करें? पहले वर और वधू के पिता घूमते रहते पंगत में। अपने हाथों से मिठाई का टुकड़ा खिलाते और अपने को धन्य मानते थे।अब हम खुद ही कही खो गये है और अपने को ढूंढते फिरते हैं। कोई पुराना मित्र मिल जाता है तो लगता है कि बहुत कुछ पा लिया है।जिंदगी अब असामान्य हो गई है, औपचारिक हो गई है।भगवान ने भी सोचा कौन हिसाब रखे,किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया?इसलिये ईश्वर ने आसान गणित लगाया और सबको खाली हाथ भेज दिया और खाली हाथ ही बुलवा लिया

-दिनेश गंगराड़े,
समरपार्क चौराहा,निपानिया इंदौर



इन्दौर में गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन

इन्दौर। (निखिल चौहान)श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर शहर के सभी गुरुद्वारों के सानिध्य में ऐतिहासिक इमली साहिब गुरुद्वारे से सिख समाज द्वारा भव्य नगर कीर्तन निकाला गया।



मान्यता है कि इसी गुरुद्वारे में 515 साल पहले गुरु नानक देव जी आए थे। इसीलिए गुरु नानक जयंती पर विगत 90 वर्षों से इन्दौर इस परम्परा को निभा रहा है। जन-मानस की समस्याओं को देखते हुए गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले पड़ने वाले रविवार को नगर कीर्तन शहर की सड़कों से निकलता है। इस बार इसमें विशेष रूप से राऊ और बेटमा साहिब गुरुद्वारे की संगत भी शामिल हुई। नगर कीर्तन में पुरुष सफेद वस्त्रों में बसंती पगड़ी और महिलाओं ने बसंती दुपट्टा पहनकर भाग लिया। इस परम्परागत जुलूस में ट्रैफिक का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे आमजन को परेशानी न हो। वहीं नगर कीर्तन में स्वच्छता सेवा भी दी गई।

बच्चों को प्रदान की सामग्री और खिलौने

इंदौर। रामकृष्ण मिशन शारदा पीठ के पूज्य स्वामी महतीर्थानन्द जी महाराज के सान्निध्य में जरूरतमंद बच्चों को कंबल, खिलौने, मिठाई के साथ विभिन्न सामग्रीया वितरित की गई।



रामकृष्ण मिशन, इन्दौर द्वारा सेवा एवं परोपकार की भावना से 270 जरूरतमन्द परिवारों के बीच साड़ियाँ, कम्बल एवं मिठाई के डिब्बों का वितरण किया गया। साथ ही, बच्चों को लगभग 100 खिलौने भी वितरित किए गए। यह सेवा कार्य रामकृष्ण मिशन, इन्दौर के सचिव पूज्य स्वामी निर्विकारानन्द जी महाराज के मार्गदर्शन एवं पूज्य स्वामी महतीर्थानन्द जी महाराज के सान्निध्य में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अभावग्रस्त एवं जरूरतमन्द लोगों को उपरोक्त सामग्री प्रदान की गई।

DGP और मुख्य सचिव तक पहुंचा मामला

कलेक्टर परिसर से 50 बोरी निर्वाचन सामग्री चोरी- 'खात्मा रिपोर्ट' पर घिरी पुलिस

इंदौर। प्रशासनिक संकुल (कलेक्टर कार्यालय परिसर), इंदौर स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय के गोदाम से 50 से अधिक बोरी निर्वाचन सामग्री की चोरी के अत्यंत गंभीर व लोक महत्व के प्रकरण में पुलिस की 'खात्मा रिपोर्ट' तथा विवेचना की विसंगतियों को लेकर पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने उच्च स्तरीय मोर्चा खोल दिया है।

आवेदक दिलीप कौशल द्वारा पुलिस महानिदेशक (DGP) मध्य प्रदेश, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश सहित शीर्ष प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को स्पीड-पोस्ट और ईमेल के माध्यम से विस्तृत विधिक मांग-पत्र एवं औपचारिक सूचना भेजी गई है।

क्या है पूरा मामला और तिथिवार घटनाक्रम?

अभिलेखीय दस्तावेजों, सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त पत्राचार और राज्य सूचना आयोग के आदेश के अवलोकन से इस पूरे प्रकरण का तिथिवार घटनाक्रम इस प्रकार सामने आया है-

01 सितंबर 2022 (सामग्री भंडारण)- FIR में दर्ज विवरण के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय के गोदाम से लाखों मतदाता प्रपत्र भंडारित किए गए थे।

28-29 जनवरी 2023 (चोरी की घटना)- प्रशासनिक संकुल स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय के गोदाम से 3,02,200 मतदाता प्रपत्रों के अतिरिक्त वर्ष 2018 के भरे हुए मतदाता प्रपत्रों के लगभग 15 से 20 बंडल (लगभग 50 से अधिक बोरी निर्वाचन सामग्री) चोरी होने की घटना सामने आई।

30 जनवरी 2023 (FIR पंजीयन)- संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इंदौर के पत्र (क्रमांक 218/भा.नि./स्टोर/2023) के आधार पर थाना राजवी बाजार में जनरल डायरी प्रविष्टि क्र. 028 दर्ज कर शाम 7:05 बजे अज्ञात आरोपी के विरुद्ध IPC की धारा 379 के तहत अपराध क्रमांक 21/2023 पंजीबद्ध किया गया।

31 जनवरी 2023 (घटनास्थल नक्शा व कथन)- घटनास्थल का हस्तनिर्मित नक्शा तैयार किया गया तथा शिकायतकर्ता जितेन्द्र चौहान एवं कार्यालयीन कर्मचारियों (सुनील गौड़ व किशोर प्रामणिक/प्रामणोर) के कथन दर्ज होना पत्रावली में संलग्न है।

12 अगस्त 2023 (खात्मा रिपोर्ट)- विवेचना अधिकारी द्वारा अज्ञात आरोपी एवं चोरी गए माल का कोई सुराग न मिलने का आधार लेते हुए अंतिम रिपोर्ट (खात्मा क्रमांक 10/2023) तैयार कर प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया।

16 अक्टूबर 2024 एवं 05 फरवरी 2026 (RTI आवेदन व द्वितीय अपील)- दिलीप कौशल द्वारा 16.10.2024 को RTI आवेदन लगाकर U FIR, पंचनामा एवं विभागीय कार्रवाई की प्रमाणित प्रतियां मांगी गईं। जानकारी न मिलने पर 05.02.2026 को म.प्र. राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील (क्रमांक ए-4747/2026) प्रस्तुत की गई। वहीं जनवरी 2026 के पत्राचार में पुलिस की खात्मा रिपोर्ट का हवाला देकर आरटीआई अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया, किंतु विभागीय जवाबदेही पर कोई कार्रवाई नहीं दर्शाई गई।

27 अक्टूबर 2026 (हाईकोर्ट निर्देश व राज्य सूचना आयोग का आदेश)- आवेदक को राज्य सूचना आयुक्त डॉ. उमाशंकर पचौरी ने सुनवाई के पश्चात लोक सूचना अधिकारी को 15 दिवस के भीतर शेष प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश पारित किए।

16 नवंबर 2026 (विधिक मांग-पत्र प्रेषण)- प्राप्त अभिलेखों के विधिक परीक्षण के पश्चात दिलीप कौशल द्वारा खात्मा रिपोर्ट में विभिन्न विसंगतियों को उल्लेखित कर प्रदेश के छहक मुख्य सचिव व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को स्पीड-पोस्ट व ईमेल के माध्यम से विधिक मांग-पत्र भेजा गया।

FIR और 'खात्मा रिपोर्ट' में उजागर हुईं गंभीर विसंगतियां एवं त्रुटियां

विधिक मांग-पत्र में दस्तावेजों के आधार पर पुलिस विवेचना और अंतिम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले विरोधाभास व त्रुटियां रेखांकित की गई हैं-

1. **अभिलेखीय क्रमांकों में विरोधाभास-** मूल रिकॉर्ड में अपराध व FIR क्रमांक 0021/2023 दर्ज है, जबकि अंतिम रिपोर्ट में 0024/2023 का भिन्न उल्लेख मिलता है। इसी तरह खात्मा रिपोर्ट में क्रमांक 10/2023 और प्रपत्र में क्रमांक 04 का विरोधाभासी अंकन अभिलेख संधारण में गंभीर लापरवाही या हेराफेरी दर्शाता है।

2. **प्रपत्रों के प्रकार व स्टॉक मिलान में अंतर-** कार्यालयीन पत्र में फॉर्म 6 (63,500), फॉर्म 6 क (1,00,000), फॉर्म 7 (38,700) और फॉर्म 8 (1,00,000) मिलाकर कुल 3,02,200 प्रपत्र दर्ज हैं, जबकि FIR के विवरण में प्रपत्र 6, 7, 8 एवं 8 क का उल्लेख है। इस अंतर का मिलान मूल स्टॉक रजिस्टर, निर्गम रजिस्टर और भौतिक सूची से नहीं किया गया।

3. **अज्ञात आरोपी, फिर भी 'पता सत्यापित'-** अंतिम रिपोर्ट (पृष्ठ 4) में आरोपी का नाम 'अज्ञात' लिखा गया है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके बावजूद 'आरोपी का पता सत्यापित होने' के कॉलम में 'हाँ' अंकित किया गया है।

4. **स्टोर कर्मचारियों के नाम गवाह सूची से गायब-** पत्रावली में स्टोर शाखा से जुड़े कर्मचारियों (सुनील गौड़ व किशोर प्रामणिक/प्रामणोर) के कथन संलग्न होने के बावजूद अंतिम रिपोर्ट की गवाह सूची में उनके नाम शामिल नहीं किए गए।

5. **चोरी गई सरकारी संपत्ति का मूल्य शून्य (रु 0.00)-** लाखों निर्वाचन प्रपत्रों व महत्वपूर्ण मतदाता अभिलेखों की चोरी के बावजूद अंतिम रिपोर्ट में संपत्ति का मूल्य रु 0.00 दर्शाया गया है।

6. **वैज्ञानिक साक्ष्य व मतदाता डेटा सुरक्षा की अनदेखी-** खिड़की की स्थिति, फिंगरप्रिंट परीक्षण, गोदाम की चाबी की अभिरक्षा, सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर और प्रशासनिक संकुल के CCTV फुटेज प्राप्त करने का कोई प्रमाण पत्रावली में नहीं है। साथ ही वर्ष 2018 के भरे हुए प्रपत्रों में दर्ज नागरिकों के संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणों के दुरुपयोग की भी जांच नहीं की गई।

7. **न्यायिक स्थिति-** उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा खात्मा रिपोर्ट स्वीकार किए जाने का कोई आदेश संलग्न नहीं है और न ही प्रथम सूचनाकर्ता को सुनवाई का विधिसम्मत नोटिस दिए जाने का प्रमाण है।

कानूनी प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांत और प्रमुख मांगें

मांग-पत्र में स्पष्ट किया गया है कि घटना 28-29 जनवरी 2023 की होने के कारण इस पर IPC एवं CrPC के प्रावधान लागू होते हैं। साधारण चोरी (धारा 379 IPC) के स्थान पर भवन में चोरी, लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग, साक्ष्य मिटाने व षड्यंत्र से जुड़ी IPC की धारा 380, 381, 409, 201, 120-B व 34 तथा CrPC की धारा 91, 161, 173(8), 190 व 397/401 के तहत परीक्षण की आवश्यकता बताई गई है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के Bhagwant Singh 1. Commissioner of Police (1985) और Vinay Tyagi 1. Irshad Ali (2013) वादों का हवाला दिया गया है।

पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की प्रमुख मांगें-

खात्मा रिपोर्ट का निरस्तीकरण- सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट (क्र. 10/2023) को तत्काल निरस्त/अस्वीकार कराने हेतु विधिवत न्यायिक कार्रवाई की जाए।

स्वतंत्र व निष्पक्ष पुनः विवेचना- CrPC की धारा 173(8) के अंतर्गत किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष राजपत्रित अधिकारी को जांच सौंपकर स्टॉक रजिस्टर, छ्टझड्ढ फुटेज, ड्यूटी रोस्टर व भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की विवेचना (Further Investigation) कराई जाए।

दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक व विभागीय कार्रवाई- FIR और अंतिम विवेचना में गंभीर त्रुटियां करने वाले पुलिसकर्मियों तथा गोदाम व निर्वाचन अभिलेखों की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन स्टोर प्रभारी व निर्वाचन विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दंडात्मक व विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

15 दिवस में कार्रवाई प्रतिवेदन- समस्त प्रशासनिक, विभागीय एवं न्यायिक कार्रवाई की लिखित सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा सक्षम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विधिक उपचार प्राप्त किया जाएगा।

विश्व बाल दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टार ने साझा की हीमा निनामा की प्रेरक कहानी

बाल विवाह के खिलाफ झाबुआ की बेटी के साहस को डेविड बेकहम का सलाम

इन्दौर। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की 17 वर्षीय बेटी हीमा निनामा का बाल विवाह के खिलाफ साहसिक कदम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।

इंग्लैंड के प्रसिद्ध पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत डेविड बेकहम ने विश्व बाल दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हीमा की कहानी साझा करते हुए उसके साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना की है। बेकहम ने हीमा की कहानी के माध्यम से दुनिया को संदेश दिया है कि बेटियों को सही समय पर सहयोग और अवसर मिलें, तो वे अपने भविष्य के फैसले स्वयं लेने में सक्षम हैं।

बाल विवाह रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध -मंत्री सुश्री भूरिया-

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने हीमा के साहस की सराहना करते हुए कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।



शिक्षकों के सहयोग से रुकवाया बाल विवाह- झाबुआ जिले के बरखेड़ा गांव की रहने वाली हीमा निनामा ने उस समय बाल विवाह का विरोध किया, जब वह कक्षा 11वीं में अध्ययनरत थी। परिवार ने कम उम्र में उसका विवाह तय कर दिया था, लेकिन हीमा अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। उसने साहस दिखाते हुए विवाह से इनकार किया और अपने विद्यालय के शिक्षकों से सहायता मांगी। कल्याणपुरा स्थित सांदीपनि विद्यालय के प्राचार्य जी.पी. ओझा और अन्य शिक्षकों ने परिवार को बाल विवाह के दुष्परिणामों और बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। शिक्षकों के प्रयासों और हीमा के दृढ़ संकल्प से उसका विवाह रुक गया। हीमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए कक्षा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वर्तमान में वह कक्षा 12वीं की छात्रा है और भविष्य में शिक्षक बनकर अन्य बेटियों को शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता की राह दिखाना चाहती है।

डेविड बेकहम ने दुनिया को दिया बेटियों के अधिकारों का संदेश- विश्व बाल दिवस, 20 नवंबर को डेविड बेकहम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हीमा की कहानी साझा करते हुए कहा कि यूनिसेफ के साथ मिलकर 20 वर्षों के कार्य अनुभव में उन्होंने देखा है कि उचित सहयोग मिलने पर लड़कियां नेतृत्व कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सकती हैं। उन्होंने हीमा के साहस का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षकों की सहायता से उसने अपना बाल विवाह रुकवाया और अब वह दूसरी लड़कियों का भविष्य संवारने का सपना देख रही है। बेकहम ने बाल अधिकारों की रक्षा के लिए यूनिसेफ और उसके सहयोगी संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए बच्चों और किशोरियों को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक प्रयास जारी रखने का आह्वान किया।

यूनिसेफ ने भी दुनिया के सामने रखी हीमा की कहानी- यूनिसेफ इंडिया ने भी हीमा के साहस और संघर्ष पर एक लघु डॉक्यूमेंट्री तैयार कर उसकी कहानी साझा की है। यूनिसेफ की टीम ने झाबुआ पहुंचकर उसके विद्यालय और गांव में उसकी प्रेरक यात्रा को कैमरे में दर्ज किया। हीमा पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी सक्रिय है।

शासकीय संभागीय आईटीआई में पांचवां कौशल दीक्षांत समारोह सम्पन्न

इंदौर। शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), इंदौर में पांचवां कौशल दीक्षांत समारोह गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया।

समारोह में विभिन्न ट्रेडों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अभिभावक भी उपस्थित रहे।

समारोह में सांसद प्रतिनिधि श्री महेन्द्र शर्मा, आईएमसी के चेयरमैन श्री शिवनारायण शर्मा तथा उद्योग प्रतिनिधि श्री गणेश कोतवाल अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्थान की प्राचार्या श्रीमती रीना सोलंकी, प्राचार्य वर्ग-2 श्री गौरव प्रकाश आर्य एवं श्री महेश जारवाल सहित संस्थान के अधिकारी-कर्मचारी तथा प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान लखनऊ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह का सीधा प्रसारण भी किया गया। इसके माध्यम से देशभर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय समारोह से जुड़े। कार्यक्रम का संचालन सुश्री संध्या बागिला एवं सुश्री माधवी शर्मा ने किया। शरद शर्मा ने आभार व्यक्त किया।

पोर्टल की एक गड़बड़ी से प्रदेश में रोज 20 हजार वाहनों की फिटनेस प्रभावित, ट्रांसपोर्टरों ने दी हड़ताल की चेतावनी

परिवहन कार्यालयों में ट्रकों की चाबियां सौंपने और अनिश्चितकालीन चक्काजाम का ऐलान

इन्दौर। सरकारी पोर्टल की तकनीकी खामी अब प्रदेश के परिवहन कारोबार पर भारी पड़ने लगी है। वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों के कारण ट्रक मालिकों के सामने गाड़ियां सड़क पर चलाने और कारोबार जारी रखने का संकट खड़ा हो गया है।

रोजाना हजारों वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र के इंतजार में प्रभावित हो रहे हैं। इससे नाराज ट्रांसपोर्ट संगठनों ने अब सरकार को सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया है। समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो मंगलवार से प्रदेश में ट्रकों के पहिए थम सकते हैं। ट्रांसपोर्टरों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को इंदौर में सभी संगठनों की बैठक होगी। इसमें चक्काजाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सामूहिक फैसला लिया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रक मालिक परिवहन कार्यालयों में अपने वाहनों की चाबियां सौंपकर गाडियां विभाग के कार्यालयों में खड़ी करने की चेतावनी भी दे रहे हैं।

ट्रांसपोर्ट संगठनों की नाराजगी का प्रमुख कारण वाहन पोर्टल पर फिटनेस आवेदन की प्रक्रिया में आ रही बाधा है। इसके साथ ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन सिस्टम की तकनीकी दिक्कतों ने समस्या को और बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की आरटीओ एंड ट्रैफिक कमेटी के चेयरमैन सीएल मुकाती के मुताबिक, प्रदेश में प्रतिदिन करीब 15 से 20 हजार वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पोर्टल पर आवेदन नहीं हो पाने के कारण वाहन मालिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिलने से वाहनों का संचालन भी प्रभावित हो रहा है।

दस साल से मान्य व्यवस्था पर अब सवाल क्यों?

ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि एक अक्टूबर 2015 के बाद वाहन निर्माताओं ने सरकारी निर्देशों के अनुसार वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाए थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आरटीओ ने वाहनों का पंजीयन किया और वर्षों से फिटनेस प्रमाणपत्र भी जारी होते रहे। अब वाहन पोर्टल पर इसी व्यवस्था से जुड़े विवरण के कारण फिटनेस आवेदन की प्रक्रिया बाधित होने का आरोप लगाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट संगठनों के मुताबिक, एटीएस निरीक्षण अधिकारियों द्वारा बीएलडी/एसएलएस का विवरण अपडेट करने की सुविधा पोर्टल पर विकसित की जानी थी, लेकिन इसके बजाय फिटनेस की प्रक्रिया ही



प्रभावित हो गई।

एसएनआईसी की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल

ट्रांसपोर्ट संगठनों ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एसएनआईसी) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पोर्टल में जरूरी तकनीकी सुविधा विकसित नहीं होने के कारण वाहन मालिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठनों का कहना है कि तकनीकी खामी का समाधान करने के बजाय पूरी प्रक्रिया को बाधित कर दिया गया है। इससे परिवहन व्यवसाय की नियमित गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। ट्रांसपोर्टर चाहते हैं कि पुराने वाहनों के वैध दस्तावेजों के आधार पर फिटनेस प्रक्रिया जारी रखने और पोर्टल की खामियों को दूर करने की व्यवस्था की जाए।

बैंक की किस्त, ड्राइवर की पगार और कारोबार पर संकट

फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिलने का असर सिर्फ ट्रक मालिकों तक सीमित नहीं है। परिवहन व्यवसाय से जुड़े ड्राइवर, हेल्पर, लोडिंग-अनलोडिंग कर्मचारी और दूसरे कारोबारी भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ट्रक सड़क पर नहीं चलेंगे तो उनकी आमदनी रुक जाएगी, लेकिन बैंक की किस्त, बीमा, मेंटेनेंस और कर्मचारियों का वेतन जैसे खर्च जारी रहेंगे। ऐसे में गाड़ियां खड़ी रहने से आर्थिक नुकसान लगातार बढ़ेगा। उनका सवाल है कि जब सरकारी पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण वाहन फिटनेस नहीं करा पा रहे हैं, तो इसकी आर्थिक कीमत ट्रक मालिक क्यों चुकाए?

सोमवार आखिरी मौका, मंगलवार को निर्णायक बैठक

ट्रांसपोर्ट संगठनों ने सरकार को सोमवार तक समस्या का स्थायी समाधान निकालने का समय दिया है। यदि इस अवधि में पोर्टल और एटीएस से जुड़ी दिक्कतें दूर नहीं होती हैं तो मंगलवार को इंदौर में प्रदेश के सभी ट्रांसपोर्ट संगठनों की बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में सामूहिक चक्काजाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जा सकता है। ट्रांसपोर्टरों ने परिवहन कार्यालयों में वाहनों की चाबियां सौंपने और ट्रक खड़े करने की चेतावनी भी दी है। सरकारी सिस्टम की तकनीकी खामी अब सड़क पर बड़े परिवहन संकट की वजह बन सकती है। सोमवार तक समाधान नहीं निकला तो मंगलवार से इसका असर माल ढुलाई और परिवहन कारोबार पर दिखाई देने की आशंका है।